

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-21  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100448

दिनांक: 06/01/2026

लोक सूचना

श्री SHREE GOVINDAM DEVELOPERS पुत्र श्री KAMLESH CHOUDHARY जाति JAT निवासी PLOT NO.02 GOVIND AVENUE AJMER ROAD BHANKROTA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम   | खसरा सं. | क्षेत्रफल (हेक्टे.) | रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.) |
|----------|---------------------------|--|----------|---------------------|------------------------------|
| 1.       | भीमपुरा, फागी (जयपुर)     | 1.) कैलाश चंद चौधरी<br>जरिये पार्टनर श्री<br>गोविन्दम डवलपर्स पुत्र<br>उध्दा राम जाट हिस्सा<br>पूर्ण जाति जाट मकान<br>संख्या PLOT NO. 2<br>कॉलोनी गोविन्द एवेन्यू<br>क्षेत्र / स्थान अजमेर रोड<br>भांकरोटा शहर<br>जयपुर पिन कोड<br>302012 जिला<br>JAIPUR राज्य<br>RAJASTHAN<br>खातेदार | 26/4     | 0.3541              | 0.3541                       |
| 2.       | भीमपुरा, फागी (जयपुर)     | 1.) कैलाश चंद चौधरी<br>जरिये पार्टनर श्री<br>गोविन्दम डवलपर्स पुत्र<br>उध्दा राम जाट हिस्सा<br>पूर्ण जाति जाट मकान<br>संख्या PLOT NO. 2<br>कॉलोनी गोविन्द एवेन्यू<br>क्षेत्र / स्थान अजमेर रोड<br>भांकरोटा शहर<br>जयपुर पिन कोड<br>302012 जिला<br>JAIPUR राज्य<br>RAJASTHAN            | 27/3     | 0.1012              | 0.1012                       |

|            |                          | खातेदार  |    |        |               |
|------------|--------------------------|--|----|--------|---------------|
| 3.         | भीमपुरा, फागी<br>(जयपुर) | 1.) कैलाश चंद चौधरी<br>जरिये पार्टनर श्री<br>गोविन्दम डवलपर्स पुत्र<br>उध्दा राम जाट हिस्सा<br>पूर्ण जाति जाट मकान<br>संख्या PLOT NO. 2<br>कॉलोनी गोविन्द एवेन्यू<br>क्षेत्र / स्थान अजमेर रोड<br>भांकरोटा शहर<br>जयपुर पिन कोड<br>302012 जिला<br>JAIPUR राज्य<br>RAJASTHAN<br>खातेदार | 35 | 1.6944 | 1.6944        |
| <b>कुल</b> |                          |  |    |        | <b>2.1497</b> |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-01-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)  
RAJASTHAN PATRIKA & RASHTRADOOT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-21  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

